न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः –31 / 2023 प्रार्थना पत्र

GCMS No.–2023 / 64

1. मनोहर लाल पिता स्व० हेमराज रावत उम्र 45 साल पेशा काश्त निवासी सापलीया तह० निम्बाहेडा (राज.)

2. मोहन पिता स्व० हेमराज रावत उम्र 38 साल पेशा काश्त निवासी सापलीया तहसील निम्बाहेडा (राज.)

3. दिनेश पिता स्व० हेमराज रावत उम्र 35 साल पेशा काश्त निवासी सापलीया तहसील निम्बाहैडा (राज.)

4. श्रीमती नानीबाई पिता स्व० हेमराज पत्नी सुरेश रावत उम्र 40 साल निवासी खेरमालिया तह० बडीसादडी (राज.)

5. श्रीमती लीलाबाई पिता स्व० हेमराज जी पत्नी दुर्गालाल रावत उम्र 30 साल निवासी खेरमालीया तह० बडीसादडी (राज.)

6. श्रीमती चान्दीबाई बेवा स्व० हेमराज जी रावत उम्र 70 साल निवासी सापलीया तह० निम्बाहैडा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. धीसालाल पिता स्व० नवला जी रावत उम्र 65 साल पेशा काश्त निवासी सापलिया तह० निम्बाहेडा (राज.)

2. रमेश पिता धीसालाल रावत उम्र 35 साल तहसील निवासी सापलिया तह० निम्बाहैडा (राज.)

3. तहसीलदार निम्बाहैडा निम्बाहैडा (राज.)

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955</u>

उपस्थित :– 1– श्री राजेश व[illegible] – अधिवक्ता प्रार्थीगण

:: निर्णय :: दिनांक :– 27.09.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:45:38 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं विपक्षीगणों की पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात गांव गुडाखेडा तहसील निम्बाहेडा मे प्रार्थीगण [illegible] 6 के खाते में आराजी नं0 784 रकबा 0.8700 हैक्टेयर लगानी 4 रु 35 पैसा दर्ज चली आ रही है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी पेश है।

Scanned by CamScanner

2. उक्त आराजी वर्णित कलम नं. 1 प्रार्थीगण/वादीगण के खाते कब्जे होकर प्रार्थीगण/वादीगण ही इसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा काश्तकरते चले आ रहे। उक्त आराजी मे विपक्षीगण/प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 का कोई हक अधिकार नहीं है। फिर भी वे प्रार्थीगण/वादीगण के खाते कब्जे की उक्त आराजी के पूर्वी भाग पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं प्रार्थीगण/वादीगण ने विपक्षीगण/प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 को कई बार समझा दिया पर वे मानने को तैयार नही है तथा समझाने पर विपक्षीगण/प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 प्रार्थीगण/वादीगण से लडाई झगडा करने को उतारु हो जाते है।

3. दिनांक 12/01/2023 को भी विपक्षीगण/प्रतिवादीगण नं० 1 व 2 ने प्रार्थीगण/वादीगण की आराजी वर्णित कलम नं० 1 के पूर्वी भाग पर कब्जा करने का प्रयास किया तथा मना करने पर प्रार्थीगण/वादीगण से लडाई झगडा किया व कहा कि वे इस आराजी पर हर हाल मे कब्जा करके रहेगें । उक्त आराजी वर्णित कलम नं० 1 पर या उसके किसी भाग पर प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 ने जबरन प्रार्थीगण/वादीगण को वेदखल कर कब्जा कर लिया तो वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ती जरे नगद से नही हो सकेगी ।

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलव किया गया। विपक्षी क्रमांक 1,2,3 वावजूद तामील अनुपस्थित रहने से विपक्षी क्रमांक 1,2,3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही के आदेश दिये गये।

5. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी विन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य विन्दु है । हमने विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्वर्ण कानूनी विन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों विन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सावित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं तथा कब्जा काश्त कर रहे है यदि यदि विपक्षीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजियात उसके हक हिस्से से जबरन वेदखल कर देता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन विन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सावित हुए हैं। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक जारी किया जाना उचित प्रतीत होता हे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:45:38 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

पत्रावली का अवलो[illegible] पक्षकार[illegible] अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रक[illegible] अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible]प्त करने का हकदार है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा तब तक मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि

Scanned by CamScanner

वाके मौजा गुडाखेडा पटवार हल्का गुडाखेडा तहसील निम्बाहेडा की आराजी नम्बर 784 रकबा 0.8700 हैक्टेयर भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखे।खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:45:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner